



राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

संख्या:- रा0नि0आ0(G)6-5/2020- शिमला-171 002 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020
8279-

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए कोविड-19 के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

➤ सामान्य निर्देश:

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मियों को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा।
2. चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना होगा।
3. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रत्येक स्थल एवं मतदान केन्द्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सैनेटाइज करवाया जाए।
4. निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण एवं मतदान दलों को प्रस्थान के समय इस कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के तापमान की जांच थर्मल स्कैनर से की जाए।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।
6. कोविड-19 के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अन्तर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

➤ नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति:

1. जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उन द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
2. खण्ड स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को या उन द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
3. नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नम्बर निर्वाचन में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएं।
4. कोविड-19 से बचाव हेतु सम्बन्धित समस्त प्रबन्ध उक्त नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन व निर्देशन में किये जाएंगे।

➤ ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच:

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच बड़े हॉल में की जाये जिससे ईवीएम के FLC कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। उक्त हॉल को उपयोग में लेने से पूर्व सैनेटाइज किया जाए।
2. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच के लिए आने वाले इंजीनियर्स का कोविड-19 जांच कराने के उपरान्त ही FLC कार्य में नियुक्त किया जाए।
3. ईवीएम की FLC कार्य में नियुक्त किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनेटाइज करने के उपरान्त ही हॉल में प्रवेश दिया जाए।
4. ईवीएम FLC स्थल पर आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
5. FLC के बाद निर्वाचन हेतु मतदान मशीन (EVM) तैयार करते समय भी उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

✓

➤ नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी:

1. रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी एवं इसके प्रयोग के लिए dedicated कर्मों की नियुक्ति की जाएगी।
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य प्रत्याशियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों का प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना हो सके।
4. नामांकन के अवसर पर अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी।
5. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट से नामांकन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेंगे। यदि कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावित या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी की समक्ष स्वयं नहीं जाएंगे।
6. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिये जाने के पश्चात् एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखते हुए बैठाया जाए एवं उक्त क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए।

7. नामांकन पत्र की संवीक्षा (Scrutiny) बड़े हॉल में की जाएगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। जिला परिषद् से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में वार्ड बार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाए। जब एक वार्ड के अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों तो शेष वार्डों के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए।
8. इसी प्रकार पंचायत समिति से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में भी वार्ड-वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा।
9. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में सर्व प्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जाएगा। तत्पश्चात उप-प्रधान पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।
10. प्रधान/उप-प्रधान पद की संवीक्षा उपरान्त हॉल खाली होने पर एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को संवीक्षा हेतु बुलाया जाए। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की संवीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए।
11. स्थानीय निकायों (ULBs) से सम्बन्धित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय का निर्धारण कर सकते हैं।
12. नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए।
13. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना (Notice) दी जायेगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स की पालना किया जाना आवश्यक होगा। ऐसी सूचना (Notice) की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

➤ मतदान कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण:

1. जहाँ तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेन्द्रीकृत होगी! प्रशिक्षण हॉल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
2. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए यथासम्भव ऑनलाईन पद्धति का प्रयोग किया जाए।
3. मतदान कार्य हेतु 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों, को यथा संभव नियुक्त नहीं किया जाए। इसके साथ ही गम्भीर रोगों से ग्रसित कर्मियों जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है, को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं (Pregnant women) एवं धात्री माताओं (Lactating mothers) तथा दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाए।
4. कोविड-19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व (Reserve) मतदान कर्मी रखें जाएं जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कर्मी/कर्मियों को उपयोग में लाया जा सके।
5. प्रशिक्षण स्थल पर Thermal Scanner, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी तथा सैनेटाईजर की उचित व्यवस्था की जाए।
6. प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
7. मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को चरणवार बुलाया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
8. प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री को भी सैनेटाईज कर उपयोग में लिया जाए।

9. प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् sanitize किया जाएगा।
10. प्रशिक्षण के दौरान सम्बन्धित कर्मियों को कोविड-19 से सम्बन्धित सामग्री जैसे PPE Kit, Thermal Scanner आदि के प्रयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नोडल स्वास्थ्य अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

➤ मतदान दलों का प्रस्थान:

1. प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तदनुसार ही मतदान दलों का प्रस्थान करवाया जाए।
2. मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की खानगी के समय सभी कर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे एवम् सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
3. प्रस्थान से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक कर्मचारी एवं वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए।
4. मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व एवं मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिए जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनेटाईज किया जाए।
5. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए।
6. मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध करवाई जाएगी:—
 - (क) पॉकेट सैनेटाईजर (100ML)—मतदान दल के सदस्यों के निजी प्रयोग के लिए (सभी मतदान चरणों के लिए सिर्फ एक बार)

- (ख) स्प्रे सैनेटाईज़र (एक लीटर)—मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए (प्रत्येक मतदान चरण के लिए एक लीटर की दर से)
- (ग) फेस शील्ड (मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए)। (एक प्रति मतदान सदस्य की दर से)।
- (घ) Gloves (मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए)। (प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण एक Pair की दर से) इसके अतिरिक्त कॉउटिंग स्टाफ को भी (Gloves) दस्ताने उपलब्ध करवाये जाएंगे।
- (ङ) Thermal Scanner (एक प्रति मतदान दल की दर से)
- (च) मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी के लिए गोले (Circle) बनाने के लिए चॉक (Chalk)

➤ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार:

1. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गार्डडलाईन की पूर्ण रूपेण पालना की जाएगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।
3. यदि कोई अभ्यर्थी, दल या समूह निर्वाचन से सम्बन्धित कोई जन या नुककड़ सभा करना चाहे तो उसमें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से सम्बन्धित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

➤ मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की व्यवस्था:-

1. मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सदस्यों/पोलिंग एजेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए।

2. मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा।
3. मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनेटाईज करने के पश्चात् ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
4. सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर Thermal Scanner की व्यवस्था की जाएगी।
5. सैनेटाईज तथा Thermal Scanning का कार्य मतदान दल में नियुक्त एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी/होमगार्ड/आशा वर्कर/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।
6. पुलिस कर्मी/होमगार्ड द्वारा ही मतदान के लिए लाईन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
7. Thermal Scanning के दौरान निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाये जाने पर वैसे निर्वाचकों के तापमान की दोबारा जाँच आधा घंटा बाद की जाएगी। यदि फिर भी तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जाएगा। ऐसे निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अथवा टोकन भी प्रदान किया जाएगा तथा इस प्रकार के मतदाताओं का विवरण पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) द्वारा नोट किया जाएगा।
8. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतू यथासंभव तीन पंक्तियाँ पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक-पृथक होंगी।
9. प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने हेतू पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे जहाँ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतू अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान स्थल से बाहर रखा जायेगा।
10. संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट तथा मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए। परन्तु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों

के पोलिंग एजेन्ट्स को अन्दर बैठाने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जायेगा की कक्ष के अन्दर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके।

11. मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं मतदाताओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतू जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
12. मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कर्मचारी को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से अन्य कर्मियों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मियों का कोविड परीक्षण करवाया जावे। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए।
13. यदि पोलिंग एजेन्ट या Counting Agent में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो Presiding Officer की अनुमति से उनका Reliever प्रदान किया जा सकता है और इस आशय का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
14. अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर सैनेटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जायेगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना की जायेगी।

➤ मतगणना:

(क) पंचायती राज संस्थाओं की मतगणना:

1. मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना हेतू प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, मतगणना अभिकर्ता एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

2. मतगणना कार्य हेतू यथा संभव बड़े हॉल/स्थान का चयन किया जाए, जिससे मतदान कार्य में नियुक्त कर्मियों एवं अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के मध्य उचित दूरी रह सके।
3. एक समय में एक पद की गणना की जाएगी। सर्वप्रथम पंचायत के सदस्यों की मतगणना की जाएगी, तत्पश्चात उप-प्रधान व प्रधान के पदों की मतगणना की जाएगी। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना की जाएगी, तत्पश्चात जिला परिषद सदस्यों की मतगणना की जाएगी।
4. मतगणना केन्द्र पर एक प्रत्याशी व एक मतगणना अभिकर्ता को उपस्थित रहते की अनुमति दी जाए। जैसे ही जिस पद की मतगणना पूरी हो जाए उसके पद के प्रत्याशियों/एजेन्टों को मतगणना केन्द्र से बाहर जाने का आग्रह किया जाए ताकि सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन हो सके।
5. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्टों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकें।
6. मतगणना में नियुक्त स्टाफ को (Gloves) दस्ताने पहनना आवश्यक होगा। मतगणना की समाप्ति पर (Gloves) दस्तानों को (Disposal) नष्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) स्थानीय शहरी निकायों की मतगणना:

1. मतगणना के लिए संभवतः बड़े हॉल का चयन किया जाएगा, मतगणना दल द्वारा मतगणना के दौरान सामाजिक दूरी का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
2. एक समय पर केवल एक ही वार्ड के मतों की गणना की जाएगी।

➤ ईवीएम एवं मतदान सामग्री का संग्रहण:

1. मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन, पानी एवं सैनेटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए।

2. मतदान के पश्चात् ईवीएम एवं अन्य मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इस हेतु नियुक्त कर्मियों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग किया जाए।
3. मतदान सामग्री जमा कराने हेतु प्रत्येक काउण्टर पर कर्मियों के लिए पंक्ति में खड़े होने के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर गोले बनाए जाए।
4. इस दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जाए ताकि वे मतदान सामग्री जमा कराने वाले कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंक्ति बनाए रखें।

आदेश द्वारा

राज्य चुनाव आयुक्त

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002

8280-8412

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त शिमला-171 002 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश।
3. सचिव (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
4. सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश।
5. महानिदेशक, (पुलिस सेवाएं) हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक (पंचायती राज विभाग) हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त उपायुक्त एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगर निगम) हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिला हिमाचल प्रदेश।
11. जिला पंचायत अधिकारी एवम् सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
12. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) हिमाचल प्रदेश।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
14. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

Naehon 22/12/20
(सुरजीत सिंह राठौर)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002